दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रेस निविदा सूचना सं. 13/एफ.ओ./रोहिणी जोन/2010–11

निम्नलिखित कार्यों के लिए दि.वि.प्रा., के.लो.नि.वि., एम.ई.एस. डाक–तार तथा रेलवे के अनुमोदित एवं पात्र ठेकेदारों से नीचे उल्लिखित तारीखों के दोपहर 3.00 बजे तक मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन दोपहर 3.30 बजे विकास सदन, दि.वि.प्रा. कार्यालय, नई दिल्ली में खोली जाएंगी। निविदा प्रलेख प्रत्येक कार्य के सामने उल्लिखित निविदा–लागत (अप्रतिदेय) का भुगतान करके और दिल्ली वैल्यू ऐडेड टैक्स ऐक्ट–2004 के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वैट विभाग के कार्य ठेका कक्ष से वैध सूचीयन प्रमाणपत्र तथा वैध पंजीकरण एवं कार्य ठेका कक्ष द्वारा जारी कर–निपटान प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके, किसी भी कार्य–दिवस को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच विक्रय काउंटर, दि.वि.प्रा., प्रेस बिल्डिंग, विकास सदन से प्राप्त कर सकते हैं. बयाना राशि, निविदा के साथ काल रिसीट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करें, जो वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सी.ए.यू.) रोहिणी, दि.वि.प्रा. के पक्ष में देय आर.बी.आई. द्वारा गारंटी प्राप्त किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी हो. बयाना राशि, निविदा स्वीकार करने के लिए निर्धारित अंतिम के बाद न्यूनतम छह (6) महीनों के लिए वैध एफ.डी.आर. के रूप में भी जमा करा सकते हैं, जो संबंधित अधिशासी अभियंता के पक्ष में होनी चाहिए. राशि का उल्लेख अंकों एवं शब्दों में करें. मदवार तथा कुल निविदित राशि भी लिखें. नक्शों, विनिदिर्ष्टियों, मात्रा–अनुसूची तथा ठेके का शर्तों के सेट सहित निविदा प्रलेख प्रातः 11 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक संबंधित अधिशासी अभियंता के कार्यालय में देख सकते हैं।

ठेकेदारों का सूचीयन निविदा–बिक्री की अंतिम तारीख को वैध होना चाहिए।

क्र सं.	एन. आई. टी. सं.	डिवीजन का नाम और पता	कार्य का नाम	अनुमानित लागत बयाना राशि निविदा मूल्य	विक्रय की अंतिम तिथि खोलने की तिथि निर्धारित समय
1.	09/ई.ई./ आरपीडी -7/डीडीए/ 2010-11	ई.ई./आरपीडी -7/डीडीए, कार्यालय भवन, सैक्टर-14, मधुबन चौक, दिल्ली–85	सैक्टर 29 एवं 30, रोहिणी, फेज–IV एवं V में 258.17 हैक्टेयर (416 हैक्टेयर में से) का विकास. उपशीर्ष : सैक्टर 29, रोहिणी (भाग) फेज–IV एवं V की आंतरिक प्लांटेड पॉकेटों का सर्वेक्षण एवं सीमांकन।	रू. 10,29,343/- रू. 20,587/- रू. 500/- + 5% वेट	14.12.10 20.12.10 3 (तीन माह)
2.	24/ई.ई./ आरपीडी -10/डीडीए/ 2010-11	ई.ई./आरपीडी -10/डीडीए, कार्यालय, जी–ब्लॉक, मंगोलपुरी, अवंतिका मोड, दिल्ली.	नजूल खाता–II, रोहिणी के अंतर्गत सेवाओं का रखरखाव। उपशीर्ष : सैक्टर–24, रोहिणी फेज–III में विभिन्न प्लॉटेड पॉकेटों में लेन पार्किंग की सफाई तथा बुहारदारी (स्वीपिंग)	रू. 7,91,496/- रू. 15,830/- रू. 500/- + 5% वेट	10.12.10 16.12.10 6 (छ माह)
3.	11/ई.ई./ आरपीडी -7/डीडीए/ 2010-11	ई.ई./आरपीडी -7/डीडीए, कार्यालय भवन, सैक्टर-14, मधुबन चौक, दिल्ली–85	सैक्टर 29 एवं 30, रोहिणी, फेज–IV एवं V में 258.17 हैक्टेयर भूमि (416 हैक्टेयर में से) का विकास. उपशीर्ष : सैक्टर–30, रोहिणी के आंतरिक पॉकेट सी–1 एवं सी–2 में प्लॉटों का सीमांकन	रू. 5,58,820/- रू. 11,176/- रू. 500/- + 5% वेट	10.12.10 16.12.10 3 (तीन माह)
4.	30/ई.ई./ आरपीडी -12/डीडीए/ 2010-11 **(पुनः आमंत्रित)**	ई.ई./आरपीडी -12/डीडीए, कार्यालय भवन, सैक्टर-14, मधुबन चौक, दिल्ली–85	नजूल खाता–II, रोहिणी के अधीन योजना का रखरखाव। उपशीर्ष : सैक्टर–20, रोहिणी में जे.जे.आर. के सभी नौ (9) ब्लॉकों (ब्लॉक डी–1, डी–2, डी–3, डी–4, सी–1, सी–2, बी–2 बी–4 एवं ए–4) में टैंकर द्वार पेय जल की सप्लाई।	रू. 45,88,690/- रू. 91,774/- रू. 500/- + 5% वेट	14.12.10 20.12.10 11 (ग्यारह माह)
5.	25/ई.ई./ आरपीडी -10/डीडीए/ 2010-11	ई.ई./आरपीडी -10/डीडीए, कार्यालय, जी–ब्लॉक, मंगोलपुरी, अवंतिका मोड, दिल्ली.	नजूल खाता–II, रोहिणी के अंतर्गत सेवाओं का रखरखाव। उपशीर्ष : सैक्टर–25, रोहिणी फेज III में पॉकेट 2, 3, 4, 5 5ए, 6, 8 एवं 28 एम मार्गाधि, 20 एम मार्गाधि तथा 12 एम मार्गाधिकार सड़कों से कूड़े की बुहारदारी (स्वीपिंग), सफाई एवं निपटान।	रू. 6,67,562/- रू. 13,351/- रू. 500/- + 5% वेट	10.12.10 16.12.10 6 (छ माह)

विशेष शर्त : बी एवं आर के मामले में 25 लाख रू. तक की लागत के कार्यों के लिए निविदाएं केवल दि.वि.प्रा. में पंजीकृत ठेकेदारों को जारी की जाएंगी।

क्र.सं. 4 के कार्य के लिए विशेष शर्त :

1. **गैर दि.वि.प्रा. एवं के.लो.नि.वि. ठेकेदारों के लिए विशेष शर्त :**
   (क) जिन फर्मों/ठेकेदारों ने 31.03.2010 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित लागत के समतुल्य प्रकृति के कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए हैं. वे उपयुक्त प्राधिकारी से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करें :–
   (i) समतुल्य प्रकृति के तीन पूर्ण कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदाओं दी गई अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि के कम न हो. **या**
   (ii) समतुल्य प्रकृति के दो पूर्ण कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदाओं में दी गई अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि के कम न हो. **या**
   (ii) समतुल्य प्रकृति का एक पूर्ण कार्य, जिसकी लागत निविदा में दी गई अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न हो.
2. निविदा प्रलेख ई.ई./आर.पी.डी–12 द्वारा प्रलेखों के सत्यापन के बाद सी.ए.यू. (रोहिणी) द्वारा जारी किए जाएंगे।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखें अथवा 39898911 डायल करें